ISBN: 978-81-974088-0-9

14. दिव्यांगों की सामाजिक समस्या एक अध्ययन

डॉ. प्राची अनर्थ

सहायक प्राध्यापक
पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.).

प्रस्तावना –

किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य (जो मानव के लिये सामान्य समझी जाने वाली सीमा के भीतर हो) को करने में परेशानी या न कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता के रूप में पारिभाषित किया जाता है।

दिव्यांग छात्रों को हम विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले छात्र कहते हैं। दिव्यांग छात्रों में विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं हो सकती हैं जैसे सीखने संबंधी विकार, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, इत्यादि। उन्हें अपने तरीके से सहायता की आवश्यकता होती है जो उस क्षेत्र में प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा दी जा सकती है।

दिव्यांग और दिव्यांगजन शब्द के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह विकलांगताओं को दूर करने और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।

दिव्यांग' समाज का वह वर्ग है, जो प्राकृतिक कारणों से अथवा किसी दुर्घटनावश शारीरिक और मानसिक रूप से अन्य से भिन्न तथा मानव निर्मित असमानताओं का शिकार रहा है और 'व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों ही स्तर पर उपेक्षा का शिकार रहा है जिसके परिणामस्वरूप वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भी दूर रह गया है।दिव्यांगता विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि जैसे जीवन के हर पहलू में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा उनके हितों को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना करता है। भारत में कई कानूनों और योजनाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अवसरों की सुलभता

और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। हालाँकि भारत अभी भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिये अवसंरचनात्मक, संस्थागत और दृष्टिकोण/व्यवहार संबंधी बाधाओं को दूर करने में बहुत पीछे है।

समाज का एक बड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों को 'सहानुभूतिपूर्ण' और 'दया' की नज़र से देखता है, जिससे उन्हें सामान्य से अलग या 'अन्य' (व्जीमत) के रूप में देखे जाने और देश के तीसरे दर्जे के नागरिक के रूप में उनसे व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

इसके अलावा एक बड़ी समस्या समाज के एक बड़े वर्ग की मानसिकता से है जो दिव्यांग व्यक्तियों को एक दायित्व या बोझ के रूप में देखते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से दिव्यांग व्यक्तियों के उत्पीड़न और भेदभाव के साथ मुख्यधारा से उनके अलगाव को बढ़ावा मिलता है।

सामाजिक संस्थाओं और पेशेवर संगठनों द्वारा दिव्यांगता से जुड़ी द्वेषपूर्ण मानसिकता या सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिये व्यापक सामाजिक अभियान चलाने का प्रयास किया गया है किंतु आज भी समाज में इन्हें अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

"दिव्यांगजन" शब्द का उपयोग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकलांगताओं वाले लोगों के लिए किया जाता है। दिव्यांगजन को कई सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैः –

1. 'समाज में भेदभाव': दिव्यांगजनों के प्रति समाज में व्यापक भेदभाव और पूर्वाग्रह देखा जाता है। उन्हें अक्सर कमजोर और असमर्थ मान लिया जाता है।

2. 'शिक्षा में कठिनाई': विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शैक्षिक संस्थानों की कमी के कारण दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

3. 'रोजगार के अवसरों की कमी': दिव्यांगजन को अक्सर रोजगार के उचित अवसर नहीं मिलते, और उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जाता।

4. 'सामाजिक समावेशन का अभाव': कई बार दिव्यांगजन समाज से अलग–थलग महसूस करते हैं क्योंकि सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सीमित होती है।

5. 'सुलभता की समस्या': सार्वजनिक स्थानों, भवनों और परिवहन में सुविधाओं की कमी के कारण दिव्यांगजन के लिए स्वतंत्र रूप से यात्रा करना और दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूरा करना मुश्किल होता है।

6. 'स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच': स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और गुणवत्ता में कमी भी एक बड़ी समस्या है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता बढ़ाने, नीतियों में सुधार करने और दिव्यांगजन की सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता है।

दिव्यांगजन को अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित है :–

1. 'भेदभाव और पूर्वाग्रह'

– 'सामाजिक भेदभाव': दिव्यांगजन के प्रति समाज में अनेक पूर्वाग्रह होते हैं। उन्हें कमजोर, अक्षम और दूसरों पर निर्भर मान लिया जाता है।
– 'सांस्कृतिक धारणाएँ': कई संस्कृतियों में दिव्यांगता को अपशकुन या पाप का परिणाम माना जाता है, जिससे दिव्यांगजन और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत किया जा सकता है।

2. 'शिक्षा में कठिनाई'

– 'सुलभ शिक्षा की कमी': विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शिक्षण संस्थानों की कमी है। सामान्य स्कूलों में दिव्यांगजन के लिए सुविधाएँ और समर्थन उपलब्ध नहीं होते।
– 'शिक्षकों का प्रशिक्षण': अधिकांश शिक्षक दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, जिससे उनकी शिक्षा में बाधा आती है।

3. 'रोजगार के अवसरों की कमी'

– 'नौकरी की असमानता': दिव्यांगजन को अक्सर उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती।

– 'कार्यक्षेत्र में भेदभाव': रोजगार में भी भेदभाव होता है और दिव्यांगजन को समान अवसर नहीं मिलते।

4. 'सामाजिक समावेशन का अभाव'

– 'अलगाव': दिव्यांगजन को सामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता, जिससे वे अलग–थलग महसूस करते हैं।
– 'सहयोग की कमी': परिवार और समाज में दिव्यांगजन को आवश्यक समर्थन और सहयोग नहीं मिलता।

5. 'सुलभता की समस्या'

– 'परिवहन की समस्या': सार्वजनिक परिवहन, सड़कों और इमारतों में सुविधाओं की कमी के कारण दिव्यांगजन के लिए यात्रा करना कठिन होता है।

– 'इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी': शौचालय, रैंप, और अन्य बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता।

6. 'स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच'

– 'विशेषज्ञ सेवाओं की कमी': दिव्यांगजन के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी होती है।

– 'आर्थिक बाधाएं': स्वास्थ्य सेवाओं की लागत अधिक होती है, जिससे गरीब परिवार इन्हें वहन नहीं कर पाते।

7. 'कानूनी और नीति संबंधी समस्याएं'

– 'अधिकारों की जानकारी का अभाव': दिव्यांगजन और उनके परिवारों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती।
– 'नीतियों का क्रियान्वयन': सरकारी योजनाओं और नीतियों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता, जिससे लाभार्थियों तक सुविधाएँ नहीं पहुँचतीं।

समाधान के उपाय –

1. 'जागरूकता अभियान': समाज में जागरूकता बढ़ाना और भेदभाव को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना।
2. शिक्षा में सुधार': विशेष जरूरतों को पूरा करने वाले शिक्षण संस्थानों की स्थापना और शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण।
3. 'रोजगार में सुधार': दिव्यांगजन के लिए रोजगार के समान अवसर प्रदान करना और कार्यक्षेत्र में समावेशन बढ़ाना।
4. 'सुलभता बढ़ाना': सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुलभता को बढ़ाना।
5. 'स्वास्थ्य सेवाएं': दिव्यांगजन के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
6. 'नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन': सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

दिव्यांगजन के सामाजिक जीवन को सरल और अनुकूलित बनाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों का उद्देश्य उनके लिए एक समावेशी और समानता आधारित वातावरण तैयार करना है। निम्नलिखित सुझावों से दिव्यांगजन का जीवन अनुकूलित किया जा सकता हैः –

1. 'शिक्षा में समावेशन'

- 'समावेशी शिक्षा प्रणाली': स्कूलों और कॉलेजों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा सुविधाओं और संसाधनों की व्यवस्था करना।
- 'शिक्षकों का प्रशिक्षण': शिक्षकों को दिव्यांग छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को समझने और उन्हें समर्थन देने के लिए प्रशिक्षित करना।
- 'तकनीकी सहायता': दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शैक्षिक उपकरण और तकनीकों का उपयोग करना।

2. 'सुलभता में सुधार'

- 'सार्वजनिक स्थानों की सुलभता': रैंप, लिफ्ट, ब्रेल संकेत, और सुनने की सहायता जैसे सुविधाओं को सार्वजनिक भवनों और स्थानों में अनिवार्य बनाना।
- 'परिवहन सुविधाएं': सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांगजन के लिए सुलभ बनाना, जैसे विशेष बसें और ट्रेन डिब्बे।
- 'डिजिटल सुलभता': वेबसाइटों, मोबाइल एप्स और अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों को दिव्यांगजन के लिए सुलभ बनाना।

3. 'रोजगार में समावेशन'

- 'समान अवसर': दिव्यांगजन के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करना और उनके कौशल के अनुसार नौकरियां प्रदान करना।
- 'कार्यस्थल पर समावेशन': कार्यस्थल पर दिव्यांगजन के लिए सुविधाएं और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, जैसे एर्गोनोमिक फर्नीचर, विशेष सॉफ्टवेयर आदि।
- 'कार्यस्थल पर जागरूकता': सहकर्मियों और प्रबंधन के बीच दिव्यांगजन के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना।

4. 'स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार'

– 'विशेष स्वास्थ्य सेवाएं': दिव्यांगजन के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
– 'मानसिक स्वास्थ्य': मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को दिव्यांगजन के लिए सुलभ बनाना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

5. 'सामाजिक और सामुदायिक समावेशन'

– 'सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी': दिव्यांगजन को सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना।
– 'सामुदायिक समर्थन': सामुदायिक केंद्रों और संगठनों द्वारा दिव्यांगजन के लिए विशेष कार्यक्रम और समर्थन सेवाएं प्रदान करना।

6. 'नीतियों और कानूनी संरक्षण' :–

– 'सशक्त नीतियां': दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत नीतियां और कानून बनाना।
– 'कानूनी जागरूकता': दिव्यांगजन और उनके परिवारों को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।

7. 'तकनीकी सहायता'

– 'सहायक तकनीकें': दिव्यांगजन के जीवन को सरल बनाने के लिए सहायक तकनीकों का उपयोग करना, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग एड्स, स्क्रीन रीडर्स आदि।
– 'अनुकूलित उपकरण': दिव्यांगजन की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपकरणों और गैजेट्स को अनुकूलित करना।

इन उपायों से दिव्यांगजन के सामाजिक जीवन को सरल और अनुकूलित बनाया जा सकता है, जिससे वे समाज का सक्रिय और समावेशी सदस्य बन सकें।

वर्तमान परिस्थितियों में दिव्यांगजन के प्रति लोगों की अवधारणा में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। इस बदलाव के कई प्रमुख कारण और पहलू हैं, जो निम्नलिखित हैं: –

1. 'जागरूकता में वृद्धि'

– 'मीडिया और सोशल मीडिया': मीडिया और सोशल मीडिया पर दिव्यांगजन की कहानियाँ और उनके संघर्षों को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ रही है।
– 'साक्षरता और शिक्षा': शिक्षा के प्रसार और साक्षरता में वृद्धि के कारण लोग अधिक संवेदनशील और जागरूक हो रहे हैं।

2. 'नीतियों और कानूनों का प्रभाव'

– 'संविधान और कानून': संविधान और कानूनों में दिव्यांगजन के अधिकारों की रक्षा के प्रावधानों ने समाज को उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक किया है।
– 'सरकारी योजनाएं': सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों ने दिव्यांगजन के प्रति समाज की सोच को बदलने में मदद की है।

3. 'शिक्षा में सुधार'

– 'समावेशी शिक्षा': समावेशी शिक्षा नीति के तहत दिव्यांगजन को समान शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं।
– 'शिक्षकों का प्रशिक्षण': शिक्षकों को दिव्यांग छात्रों के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने के कारण भी बदलाव आ रहा है।

4. 'रोजगार के अवसर'

– 'समान रोजगार अवसर': दिव्यांगजन के लिए रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए कंपनियां और संगठनों ने पहल की है। इससे दिव्यांगजन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

– 'कार्यस्थल पर समावेश': कार्यस्थल पर दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनके प्रति दृष्टिकोण में सुधार हुआ है।

5. 'सामाजिक समावेशन'

– 'समाज में भागीदारी': दिव्यांगजन को सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल–कूद की गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है, जिससे उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है।

– 'सामुदायिक समर्थन': सामुदायिक केंद्रों और संगठनों द्वारा दिव्यांगजन के लिए विशेष कार्यक्रम और समर्थन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

6. 'तकनीकी और नवाचार'

– 'सहायक तकनीकें': आधुनिक तकनीकों और नवाचारों ने दिव्यांगजन के जीवन को सरल और स्वतंत्र बनाया है, जिससे वे समाज में अपनी जगह बना रहे हैं।

– 'डिजिटल सुलभता': डिजिटल प्लेटफार्मों को सुलभ बनाने के प्रयासों से दिव्यांगजन की समाज में भागीदारी बढ़ी है।

7. 'रोल मॉडल और प्रेरणा स्रोत'

– 'सफल दिव्यांगजन': दिव्यांगजन में से कई लोगों ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिससे वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।

– 'प्रेरणादायक कहानियां': दिव्यांगजन की प्रेरणादायक कहानियों को प्रमुखता से पेश करने के कारण भी लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है।

8. 'विज्ञान और अनुसंधान'

– 'शोध और विकास': दिव्यांगजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे शोध और विकास ने भी उनकी स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इन सभी कारकों के कारण वर्तमान में दिव्यांगजन के प्रति लोगों की अवधारणा में सकारात्मक बदलाव आया है। समाज में उनके प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना बढ़ी है, जिससे दिव्यांगजन को एक समावेशी और समर्थ वातावरण मिल रहा है।

निष्कर्ष :–

दिव्यांगों के संदर्भ में दोषों को दूर करने की दृष्टि से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कई स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है:–

1. 'नीतिगत सुधार': दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए मजबूत नीतियों और कानूनों का निर्माण और उनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।
2. 'शिक्षा और प्रशिक्षण': दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
3. 'सुलभता': सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, और सेवाओं को दिव्यांगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए। इसमें रैंप, लिफ्ट, ब्रेल संकेत, और अन्य सहायक उपकरण शामिल हैं।
4. 'समाज में जागरूकता': दिव्यांगता के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियानों का संचालन किया जाना चाहिए। इससे दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।
5. 'स्वास्थ्य सेवाएं': दिव्यांगों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसमें समय–समय पर चिकित्सा जांच, पुनर्वास, और मानसिक स्वास्थ्य सहायता शामिल हैं।

6. 'आर्थिक सशक्तिकरण': दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है।

इन सुधारों के माध्यम से, हम दिव्यांगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और उन्हें एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।

सामाजिक दृष्टि से दिव्यांगों के लिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समाज में समावेशिता और सम्मान का माहौल बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिव्यांग व्यक्तियों को समाज का अभिन्न अंग मानते हुए उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समाज में जागरूकता फैलाना, दिव्यांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, और उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन, और सेवाओं को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाकर उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस प्रकार, एक संवेदनशील और सहयोगात्मक समाज के निर्माण से सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

शिक्षा की दृष्टि से दिव्यांगों के लिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली का विकास आवश्यक है, जहाँ दिव्यांग छात्र भी सामान्य छात्रों के साथ पढ़ सकें। विशेष शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षित शिक्षक, और अनुकूलित शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। इसके साथ ही, दिव्यांग छात्रों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आवश्यक सहायक सुविधाएं प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार, एक समावेशी और सहयोगात्मक शिक्षा प्रणाली से समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सकते हैं। "दिव्यांगों के लिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समाज को उनके प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति दिखानी चाहिए। उन्हें शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सहभागिता के समान अवसर प्रदान कर उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे न केवल दिव्यांग व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज भी अधिक समावेशी और मजबूत बनेगा।" "दिव्यांगों के संदर्भ में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तकनीकी उन्नति और नीतिगत सुधार के माध्यम से उनके जीवन को अधिक सहज और स्वतंत्र बनाया जा सकता है। सहायक उपकरण, अनुकूलित इंफ्रास्ट्रक्चर, और

विशेष सेवाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही, समाज में जागरूकता और समावेशिता बढ़ाकर, हम एक समान और न्यायपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ सभी को समान अवसर मिलें।"

संदर्भ ग्रंथ :–

1. गुप्ता एम पी (2010) उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन।
2. http://egyankosh.ac.in
3. http://www.drishtias.com
4. http://www.techmint.com
5. पाल, मोहन गुप्त (2007) शिक्षा मनोविज्ञान इलाहाबाद न्यू कैलाश प्रकाशन।
15. सिंह अरूण कुमार (2005) शिक्षा मनोविज्ञान पटना, भारती भवन।